न्यायालय–विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।

उपस्थितः रणजीत कुमार, (एच0जे0एस0) जे0ओ0 कोड–यू.पी. 6509

CNR No. UPJP010088912018

सत्र वाद सं0–185/2018
(पंजीकरण सं0–579/2018)

उ0प्र0 राज्य..... ..... **.....अभियोगी**

बनाम

1. दीनानाथ शुक्ला पुत्र रामपाल शुक्ला
2. रोहित शुक्ला पुत्र दीनानाथ शुक्ला
निवासीगण रामनगर, थाना मुंगराबादशाहपुर जिला जौनपुर।

.....अभियुक्तगण

मु0अ0सं0–183/2018
धारा–323/34, 504 भा0दं0सं0 एवं
धारा 3 (1) (द) व 3 (1) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
थाना–मुंगराबादशाहपुर, जिला जौनपुर।

निर्णय

1. मु0अ0सं0 183/2018, अंतर्गत धारा 323, 504 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (द) व 3 (1) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना मुंगराबादशाहपुर, जिला जौनपुर के प्रकरण में पुलिस द्वारा अभियुक्तगण दीनानाथ शुक्ला एवं रोहित शुक्ला के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र सं0 143/2018 दिनांकित 06.07.2018 पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त विशेष सत्र परीक्षण सं0 185/2018(पंजीकरण सं0–579/2018) में विचारण कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मिठाईलाल गौतम ने थाना मुंगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर पर लिखित तहरीर इस आशय की दी कि उसका नाती अमित कुमार व आदित्य कुमार दिनांक 01.07.2018 को समय 6 बजे शाम बकरी और भैंस चरा रहे थे, उसी समय वहीं छुट्टा बैल आ गया, उस बैल को उसके दोनो नातियें ने भगा दिया, जो बैल दीनानाथ के बगीचे में चला गया, उसी बात को लेकर

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.03.11 16:47:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दीनानाथ शुक्ला व उनका लड़का रोहित शुक्ला गाली गलौज देते हुए उसके दोनों नातियों को लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे, जिससे उसके दोनों नातियों को काफी चोटें आई हैं।

3. वादी मुकदमा मिठाईलाल गौतम की उपरोक्त लिखित तहरीर प्रदर्श–क–1 के आधार पर दिनांक 01.07.2018 को समय 20:50 बजे थाना मुंगराबादशाहपुर में अभियुक्तगण दीनानाथ शुक्ला एवं रोहित शुक्ला के विरूद्ध मु0अ0सं0 183/2018 अंतर्गत धारा 323, 504 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (द), 3 (1) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा गवाहों के बयान लिये गये, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण दीनानाथ शुक्ला एवं रोहित शुक्ला के विरूद्ध धारा 323, 504 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (द), 3 (1) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. आरोप पत्र प्राप्त होने पर इस न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया और मामला विशेष सत्र परीक्षण सं0 185/2018 स्टेट बनाम दीनानाथ एवं अन्य के रूप में दर्ज हुआ।

6. न्यायालय द्वारा दिनांक 26.03.2019 को अभियुक्तगण दीनानाथ शुक्ला एवं रोहित शुक्ला के विरूद्ध धारा 323/34, 504 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (द), 3 (1) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के दण्डनीय अपराध में आरोप सृजित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार किया गया एवं विचारण की मांग की गई।

7. विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं–

साक्षी क्रमांक	**साक्षी नाम**	**साक्षी का विवरण**
पी0डब्लू0–1	मिठाई लाल गौतम	तथ्य/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
पी0डब्लू0–2	आदित्य	चोटहिल साक्षी
पी0डब्लू0–3	अमित गौतम	चोटहिल साक्षी
पी0डब्लू0–4	अनारा देवी	तथ्य/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

8. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की मौलिकता को धारा 294 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत स्वीकार कर लिये जाने के कारण उन पर नियमानुसार प्रदर्श डालकर अभियोजन साक्ष्य के अवसर को समाप्त किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लिखित तहरीर प्रदर्श क–1, कायमी जी0डी0 मुकदमा प्रदर्श–क–2, चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–3, नक्शा नजरी प्रदर्श क–4, आरोप पत्र प्रदर्श क–5, चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट आदित्य प्रदर्श–क–6, चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट अमित प्रदर्श–क–7 दाखिल किये गये हैं।

9. मौखिक साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0 1 मिठाईलाल गौतम, पी0डब्लू0 2 आदित्य, पी0डब्लू0 3 अमित गौतम एवं पी0डब्लू0 4 अनारा देवी को परीक्षित कराया गया है।

10. दिनांक 03.01.2026 को अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताया, और विवेचक द्वारा गलत आरोप पत्र प्रेषित किया जाना बताया, पी0डब्लू0–1 द्वारा झूठी गवाही दिया जाना बताया और पी0डब्लू0–2 लगायत पी0डब्लू0–4 द्वारा दिये गये बयानों के सम्बन्ध में कुछ भी कहने से इंकार किया, और अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार होना बताया और मुकदमा रंजिशन चलना बताया, सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया और कहा कि वे निर्दोष हैं।

11. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

12. दौरान बहस विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क किया गया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित हैं, अतः उन्हें आरोपित धाराओं में दोषसिद्ध किया जाए।

13. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि किसी अभियोजन साक्षीगण के द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित नहीं होते हैं, अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

14. अभियोजन केस यह है कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 01.07.2018 को समय 6 बजे शाम अभियुक्तगण दीनानाथ शुक्ला एवं रोहित शुक्ला ने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा के नाती आदित्य एवं अमित को लाठी डण्डा से मार–पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया, भद्दी–भद्दी गालियां देकर अपमानित किया तथा अपमानित करने के आशय से लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया एवं जाति के नाम से गाली–गलौज किया।

15. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करने वास्ते आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का दायित्व होता है।

16. उक्त दायित्व निर्वहन के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–1 मिठाईलाल गौतम को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह जाति का चमार है, पढा लिखा नहीं है। अपना नाम लिख लेता है। दिनांक 01.07.2018 को समय 6 बजे शाम को उसके नाती अमित कुमार व आदित्य कुमार बकरी और भैंस चरा रहे थे उसी समय एक बैल आ गया, जो बकरी को मार रहा था, तो उसके दोनों नातियों ने बैल को भगा दिया, वह बैल दीनानाथ शुक्ला के बगीचे में चला गया। इसी बात को लेकर दीनानाथ शुक्ला व उनका लड़का रोहित शुक्ला ने आकर उसके नातियों को मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए चमार सियार कहकर

जातिसूचक शब्दों से अपमानित किए, और उसके नाती अमित कुमार ने गाली देने से मना किया तो दीनानाथ व रोहित लाठी डण्डा से मारने लगे, जिससे उसके नातियों को चोटें आई थी। उसके नाती अमित व आदित्य ने घर वापस आकर घटना के बावत उसे व परिवार वालों को बताया था। तब वह नातियों को लेकर थाना मुंगराबादशाहपुर गया था, थाने के दरोगा ने उसके नाती अमित व आदित्य का डॉक्टरी मुआयना सी0एच0सी0 मुंगराबादशाहपुर में करायाथा। उसने एक अज्ञात व्यक्ति से बोलकर प्रार्थनापत्र लिखवाया था, जिस पर अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दिया था। थाने पर उसके प्रार्थनापत्र पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। प्रार्थनापत्र शामिल पत्रावली को देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया और प्रदर्श–क–1 के रूप में साबित किया।

17. बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा कि दिनांक 01.07.2018 को समय करीब 6 बजे शाम को वह घर पर मौजूद नही था। उसके नाती अमित कुमार व आदित्य कुमार भैंस व बकरी चराने खेत में गये थे, जहां पर कुछ और बैल भैंस बकरियां मौजूद थे। बैल ने उसके नाती अमित व आदित्य को मार दिया था, जिससे वह जमीन पर गिर गये थे, उसी गिरने से उन्हें चोटें आयी थी। दीनानाथ व रोहित उसके नाती अमित व आदित्य को लाठी डण्डा से मारे पीटे नहीं थे, और न ही मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां दिये थे, और न ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित किये थे। गांव के कुछ लोगों के चढाने बढाने पर उसने थाने पर प्रार्थनापत्र दे दिया था। जबकि मुल्जिमान उसके नातियों के साथ ऐसी कोई घटना कारित नहीं किये थे। उसक सामने कोई घटना कारित नहीं हुयी थी। साक्षी ने उसका बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, कैसे लिख लिया इसकी कोई वजह नहीं बताा सकता। अभियोजन की ओर से सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने कहा कि यह कहना गलत है कि मेरे नाती आदित्य कुमार व अमित कुमार को उपरोक्त मुल्जिमान चमार सियार कहे व लाठी डण्डा से मारे पीटे थे।

18. इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की सम्पूर्ण परीक्षा में आए कथनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि यद्यपि इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, परन्तु मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों के बिल्कुल विपरीत अभियोजन कथानक से इंकार करते हुए साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि दीनानाथ व रोहित उसके नाती अमित व आदित्य को लाठी डण्डा से मारे पीटे नहीं थे, और न ही मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां दिये थे, और न ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित किये थे। साक्षी द्वारा उसके नाती को आई चोटों के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से यह भी कथन किया गया है कि बैल ने उसके नाती अमित व आदित्य को मार दिया था, जिससे वह जमीन पर गिर गये थे, उसी गिरने से उन्हें चोटें आयी थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि गांव के कुछ लोगों के चढाने बढाने पर उसने थाने पर प्रार्थनापत्र दे दिया था जबकि मुल्जिमान उसके नातियों के साथ ऐसी कोई घटना कारित नहीं किये थे। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में किये गये विरोधाभासी कथनों एवं प्रतिपरीक्षा में किये गये इस आशय के स्पष्ट कथन कि

अभियुक्त द्वारा उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गई है, के दृष्टिगत इस साक्षी के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक स्थापित नहीं माना जा सकता है। यह साक्षी विश्वसनीय साक्षी नहीं है। इस अविश्वसनीय साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है।

19. अभियोजन की ओर से परीक्षित चोटहिल साक्षी पी0डब्लू0–2 आदित्य ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह जाति का चमार है। दिनांक 01.07.2018 को समय 6 बजे शाम वह बकरी चरा रहा था, उसी समय एक खुला सांड आ गया और उससे डरकर जानवर भागने लगे, उसकी भी बकरी भागकर दीनानाथ के खेत की तरफ जाने लगी तो उसने उसको किसी तरह से पकड़ लिया किन्तु सांड को भगाने की स्थिति में वह दीनानाथ शुक्ला के बगीचे में चला गया। सांड बगीचे में चले जाने से दीनानाथ शुक्ला के लड़के तथा वह स्वतः बाग के पास आये और दोनों लोग उसे अपशब्द कहने लगे, गाली देने से मना करने पर मारने के लिए दौड़ा लिये, इसी बीच उसका भाई अमित गौतम भी उसके पास आ गया था। दोनों लोगो को मारने के लिए दीनानाथ शुक्ला व उनके लड़के रोहित डण्डा लेकर दौड़ाये तो दोनो लोग भागने लगे और सामने गड्ढा होने की वजह से दोनों फंसकर जमीन पर गिर पड़े, जिससे चोटें आ गयी थी। दोनों लोगों के रोने व चिल्लाने पर दादी अमरावती व गावं के अन्य लोग आकर दोनों लोगों को उठाये और घर ले गये। उसे मुल्जिमान दीनानाथ व रोहित ने मारा–पीटा नहीं था, न ही गाली गलौज देते हुए चमार सियार कहकर अपमानित किये थे। उसका कोई बयान सी0ओ0 साहब ने नही लिया था, जो गिरने से उसे चोटें आई थी, उसी का डॉक्टरी मुआयना उसने व उसके भाई अमित गौतम को प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्र मुंगराबादशाहपुर में थाना मुंगराबादशाहपुर की पुलिस ने ले जाकर कराया था।

20. इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 अक्षरशः पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसने इस प्रकार का कोई बयान विवेचक को नहीं दिया था। साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिनांक 01.07.2018 को वह और उसका भाई अमित गौतम एक साथ बकरी चराने गये थे। लगभग आधे घण्टे तक बकरी चराये थे। जहां बकरी चरा रहे थे। वहां अन्य लोग भी पशु चरा रहे थे। इसी बीच खुला सांड जानवरों के बीच आ गया था। सांड किस साइड से आया, वह नहीं बता सकता। सांड के आते ही जानवर भागने लगे। वह और उसके भाई ने सांड को डण्डे से मारा तो वह दीनानाथ के बाग में चला गया था। सांड के हांकने से ही दीनानाथ व उनके लडके रोहित नाराज हो गये थे, तथा दोनों लोगों को दौड़ा लिये थे। दीनानाथ व रोहित ने न तो उसे मारा था, और न ही कोई भद्दी–भद्दी मां बहन की गाली दिये थे, और न ही चमार सियार कहकर अपमानित किये थे। उसे दौड़ते समय जमीन पर गिर जाने से चोट आयी थी। मुल्जिमानों के मारने से चोट नहीं आयी थी। अभियोजन की ओर से सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने कहा कि यह कहना सही है कि मुल्जिमानों से हम लोगों की सुलह हो गयी है, किन्तु यह कहना गलत है कि सुलह हो जाने के कारण न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूं।

21. इस प्रकार उपरोक्त चोटहिल साक्षी/वादी मुकदमा पी0डब्लू0–2 की सम्पूर्ण परीक्षा में आए कथनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि साक्षी कथनानुसार उसे मुल्जिमान दीनानाथ व रोहित ने मारा–पीटा नहीं था, न ही गाली गलौज देते हुए चमार सियार कहकर अपमानित किये थे। साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि जो गिरने से उसे चोटें आई थी, उसी का डॉक्टरी मुआयना उसने व उसके भाई अमित गौतम को प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्र मुंगराबादशाहपुर में थाना मुंगराबादशाहपुर की पुलिस ने ले जाकर कराया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक के विपरीत अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार की घटना कारित किये जाने से इंकार कर दिया है। इस पक्षद्रोही साक्षी से अभियोजन द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में भी साक्षी द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल मिलता हो। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है, बल्कि अभियोजन कथानक पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

22. अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य चोटहिल साक्षी पी0डब्लू0–3 अमित गौतम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01.07.2018 को समय 6 बजे शाम वह अपने भाई आदित्य के साथ अपने जानवर चरा रहा था, उसी समय एक खुला सांड आ गया, उससे डरकर उसके जानवर भागने लगे और उसकी बकरी दीनानाथ के खेत में चली गयी, जिसे उसने पकड़ लिया किन्तु उसी बीच सांड को भगाने की स्थिति में वह दीनानाथ के बगीचे में चली गयी, जिससे उनके बगीचे में जाने से उनके लड़के रोहित बाग मे आये, उनके साथ दीनानाथ भी थे और उसे डांटने फटकारने लगे। उनके तेज आवाज में डांटने फटकारने से आस–पास के लोग भी आ गये। इसी बीच उसका भाई उसके पास आ गया, जिससे दीनानाथ व उनके लड़के काफी क्रोधित हो गय, इसी बीच धक्का मुक्की होने लगी। किसी ने उसके पीछे से धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया, जिससे उसे चोट आ गयी। मुझे दीनानाथ ने मारापीटा नहीं था, और न ही उसे जातिसूचक शब्द चमार सियार कहकर अपमानित किया था। उसे जो गिरने से चोट आयी थी, उसी का डॉक्टरी मुआयना उसने सरकारी अस्पताल मुंगराबादशाहपुर में कराया था, और जिसे साथ में गये पुलिस वालों ने ले लिया था। उसे मुल्जिमानों के मारने से न तो कोई चोट आयी थी, और न ही मुल्जिमानों ने गाली गलौज देकर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया था। इस सन्दर्भ में विवेचक ने उसका कोई बयान नहीं लिया था।

23. इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसने विवेचक को कोई बयान नहीं दिया था, विवेचक द्वारा कैसे लिख लिया गया, इसकी वजह नहीं बता सकता। अभियोजन की ओर से सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने कहा कि यह कहना सही है कि मुल्जिमानों से उसकी सुलह हो गयी है। यह कहना गलत है कि सुलह हो जाने के कारण वह न्यायालय मे सही बात नहीं बता रहा है।

24. इस प्रकार उपरोक्त अन्य चोटहिल साक्षी पी0डब्लू0–3 की सम्पूर्ण परीक्षा में आए कथनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि साक्षी कथनानुसार उसे

दीनानाथ ने मारापीटा नहीं था, और न ही उसे जातिसूचक शब्द चमार सियार कहकर अपमानित किया था। साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी ने उसके पीछे से धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया, जिससे उसे चोट आ गयी। उसे जो गिरने से चोट आयी थी, उसी का डॉक्टरी मुआयना उसने सरकारी अस्पताल मुंगराबादशाहपुर में कराया था, और जिसे साथ में गये पुलिस वालों ने ले लिया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसे मुल्जिमानों के मारने से न तो कोई चोट आयी थी, और न ही मुल्जिमानों ने गाली गलौज देकर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक के विपरीत अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार की घटना कारित किये जाने से इंकार कर दिया है, और धक्का मुक्की में गिरने के कारण उसे चोट आना कहा है। इस पक्षद्रोही साक्षी से अभियोजन द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में भी साक्षी द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल मिलता हो। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है, बल्कि अभियोजन कथानक पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

25. अभियोजन की ओर से परीक्षित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–4 अनारा देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01.07.2018 को 6 बजे मिठाईलाल गौतम से दीनानाथ शुक्ला व रोहित शुक्ला से कोई मारपीट हुयी थी या नहीं, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। अमित व आदित्य को दीनानाथ शुक्ला व रोहित शुक्ला ने मार–पीट कर कोई चोट पहुंचायी थी या नहीं, इसकी उसे जानकारी नहीं है। न ही वह यह बता सकती है कि उपरोक्त दीनानाथ व रोहित ने वादी मुकदमा मिठाईलाल व चोटहिल आदित्य व अमित को गाली देते हुए उन्हें चमार सियार कहकर अपमानित किये थे या नहीं, न तो उसने सुना है, न ही देखा है, न तो उसने कोई बीच बचाव किया था। वादी ने उसका नाम कैसे बता दिया, इसकी वह कोई वजह नहीं बता सकती। उससे किसी पुलिस अधिकारी ने कोई बयान नही लिया था।

26. इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान नही दिया था, कैसे लिख लिया, इसकी वजह वह नहीं बता सकती। साक्षी ने आगे स्पष्ट किया है कि उसकी उम्र इस समय 65 वर्ष है, वह दस वर्षों से बीमार चल रही है, उसका हाथ काम नहीं करता है। चलने फिरने में असमर्थ है। आज समन पर वह न्यायालय में आयी है। उसने दीनानाथ व रोहत को मिठाईलाल, आदित्य व अमित को न तो मारते पीटते देखा, न ही गाली गलौज करते और न ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते देखा था।

27. इस प्रकार उपरोक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–4 की सम्पूर्ण परीक्षा में आए कथनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि साक्षी कथनानुसार उपरोक्त दीनानाथ व रोहित ने वादी मुकदमा मिठाईलाल व चोटहिल आदित्य व अमित को गाली देते हुए उन्हें चमार सियार कहकर अपमानित किये थे या नहीं, न तो उसने सुना है, न ही देखा है, न तो उसने कोई बीच बचाव किया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि

अमित व आदित्य को दीनानाथ शुक्ला व रोहित शुक्ला ने मार–पीट कर कोई चोट पहुंचायी थी या नहीं, इसकी उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक के विपरीत अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार की घटना कारित किये जाने से इंकार कर दिया है। इस पक्षद्रोही साक्षी से अभियोजन द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में भी साक्षी द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल मिलता हो। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है, बल्कि अभियोजन कथानक पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

28. इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रत्यक्षदर्शी एवं चोटहिल साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित चोटहिल साक्षीगण पी0डब्लू0–2 व पी0डब्लू0–3 द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि अभियुक्तगण ने उन्हें मारा–पीटा नहीं था, और न ही गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दिया था, और न ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया था। अभियोजन की ओर से परीक्षित प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–4 ने भी स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण द्वारा चोटहिलगण के साथ किसी भी प्रकार की घटना कारित किये जाने से इंकार कर दिया है। चोटहिल साक्षीगण ने स्वयं को धक्का मुक्की व भागने से गिर जाने से चोटें आने का कथन किया है, तथा अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार की मार–पीट की घटना कारित किये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य से अभियोजन कथानक स्थापित नहीं हो पाया है। प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गई है, जिस आधार पर अभियोजन प्रपत्र साबित हुए हैं। परन्तु चोटहिल साक्षीगण के साक्ष्य से अभियोजन कथानक किसी प्रकार से स्थापित न होने के दृष्टिगत अभियोजन प्रपत्र साबित होने मात्र के आधार पर अभियोजन केस साबित नहीं माना जा सकता है।

29. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण दीनानाथ शुक्ला एवं रोहित शुक्ला के विरूद्ध लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्तगण दीनानाथ शुक्ला एवं रोहित शुक्ला धारा 323/34, 504 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (द) व 3 (1) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के आरोप से संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

30. इस स्तर पर यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण को नामजद कराते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिस अनुक्रम में बाद विवेचना आरोप पत्र प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा विचारण कार्यवाही की गई, किन्तु वादी मुकदमा के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किया गया है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उपरोक्त साक्षी द्वारा मिथ्या साक्ष्य देकर अभियुक्तगण को संलिप्त किया गया है। अतः उपरोक्त

साक्षी पी0डब्लू0–1 मिठाईलाल गौतम के विरूद्ध मिथ्या साक्ष्य देने के सन्दर्भ में आपराधिक कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

मु0अ0सं0 183/2018 से उद्भूत विशेष सत्र परीक्षण सं0 185/2018 (पंजीकरण सं0–579/2018), स्टेट बनाम दीनानाथ एवं अन्य, थाना मुंगराबादशाहपुर, जिला जौनपुर के प्रकरण में अभियुक्तगण दीनानाथ शुक्ला एवं रोहित शुक्ला को धारा 323/34, 504 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (द) व 3 (1) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उक्त अभियुक्तगण के जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में दाखिल जमानतनामें निर्णय की तिथि से 6 माह तक प्रभाव मे रहेंगे।

वादी मुकदमा/साक्षी पी0डब्लू0–1 मिठाईलाल गौतम के विरूद्ध धारा 344 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण वाद पंजीकृत हो। उक्त साक्षी को इस आशय की नोटिस जारी हो कि क्यों न उसे मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दण्डित किया जाये।

<u>दिनांक–11.03.2026</u>

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6509

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके सुनाया गया।

<u>दिनांक–11.03.2026</u>

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6509